



2026:AHC:42678-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2026 की 2513

पूनम जायसवाल

.

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

...प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मनोज कुमार, मोनू सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रारंभ में ही, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह इंगित किया है कि प्रस्तुत मामले में विवेचना पहले ही पूर्ण की जा चुकी है और अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र भी दाखिल किया जा चुका है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, किंतु उन्होंने कथन किया कि वह इस रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और उचित स्तर पर उचित मंच के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. दिए गए कथन के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

दिनांक: 25 फरवरी, 2026

नदीम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।